न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 07/2025

दायर दिनांक : 10/02/2025

निर्णय दिनांक : 13/10/2025

उनवान

1 बोतलाल पुत्र धन्ना जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर

2 मंगीदेवी पत्नि बोतलाल जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1 उदयराम पिता नगजीराम जाट निवासी जााशमा तहसील भूपालसागर

2 किशनलाल पिता ठाकरू जाट निवासी सेजगरिया तहसील भूपालसागर

3 लेहरू पिता सूरजमल जाट निवासी भगवानपुरा तहसील भूपालसागर

4 नारायण पिता गोपी लाल जाट निवासी भगवानपुरा तहसील भूपालसागर

5 नोजी पत्नि जवारू जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर

6 कालुराम पिता जवारू जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर

7 डालचंद पिता औंकार जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर

8 जेतुबाई विधवा गोपीलाल जाट निवासी भगवानपुरा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 3,4,8, पूर्व में उपस्थित, आज नही आए। शेष अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5, 6, 7 वाद सूचना अनुपस्थित होने से कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम** जाशमा **प0 ह0** जाशमा **तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के आराजी न0 2234 रकबा 0.7700 है0 माल 1, आराजी न0 2235 रकबा 0.8500 है0 माल 1, आ0न0 2236 रकबा 0.4000 है0 माल 1, आ0न0 2237 रकबा 0.3500 है0 माल 1, आ0न0 3941 रकबा 0.3000है0 बी.1 आ0न0 3958 रकबा 0.3200 है0 चाही 4 है0 कुल खसरे 6 कुल क्षेत्रफल 2.9900 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.16 09:33:02 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

भूपालसागर